

40 वीं वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना

सेवा में,

सभी शेयरधारकों / निदेशकों

यह सूचित की जाती है कि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के शेयरधारकों की 40 वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 02 सितंबर, 2016 (शुक्रवार) को अपराह्न 05.30 बजे से नीपको कार्यालय के सम्मेलन कक्ष, 15 एनबीसीसी टॉवर, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110 066, में निम्नलिखित व्यवसाय का संचालन करने के हेतु आयोजित किया जाएगा

साधारण व्यवसाय :

1. 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण (समेकित वित्तीय विवरणों सहित) को प्राप्त करने और अपनाने के लिए बोर्ड की रिपोर्ट के साथ-साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।
2. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अंतरिम डिविडेंड के भुगतान पर ध्यान दें और अंतिम लाभांश घोषित करें ।
3. वर्ष 2016-17 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक ठीक करने के लिए ।

विशेष व्यवसाय:

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को मंजूरी देना और इस संबंध में विचार करना और यदि सोचा गया फिट बैठे, संशोधनों के साथ या संशोधनों के बिना पारित करने हेतु, एक सामान्य संकल्प के रूप में निम्न संकल्प :-

यह सुनिश्चित किया की खंड 148 और कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और कंपनियों (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (किसी भी वैधानिक संशोधन (सहित) या उसके पुनः अधिनियमित), मैसर्स संजीव दास एंड एसोसिएट्स, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षक, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड की ऑडिट करने के लिए, 1,20,000 / - रुपये का पारिश्रमिक (एक लाख बीस हजार रुपये) केवल वही सेवा कर के रूप में लागू होते हैं जो कि वास्तविक रूप में दिनचर्या खर्च से बाहर हैं ।

बोर्ड की आज्ञानुसार

ह./-

(चिरंजीव शर्मा)

कंपनी के सचिव-सह-एलए

नोट:

1. बैठक में भाग लेने तथा वोट देने वाले पात्र सदस्य, अपने एवज में किसी दूसरे व्यक्ति को वोट देने के लिए नियुक्त कर सकता है तथा उस व्यक्ति का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है ।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार संबंधित विशेष विवरण, विशेष व्यवसाय के संबंध में ऊपर बताए गए के अनुसार संलग्न है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 9 के अनुसार, सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजीएजी) द्वारा और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुपालन में नियुक्त किया जाता है, उनके पारिश्रमिक कंपनी को वार्षिक आम बैठक में या ऐसे तरीके से तय किया जाना चाहिए, जैसा कि सामान्य बैठक में कंपनी निर्धारित कर सकती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मैसर्स स्पैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स नियुक्त किया है, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में 6,00,000 / - रुपये (छह लाख रूपए) का केवल वही सेवा कर लागू होता है जो वास्तविक रूप में दिनचर्या खर्च से बाहर हो ।

4. निगम ने फरवरी 2016 में 22.59 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश चुकाया है । निदेशक मंडल ने वर्ष 2015-16 के लिए दिनांक 03 अगस्त 2016 को आयोजित अपने 224 वें बोर्ड की बैठक में 111.76 करोड़ रूपए के लाभांश की घोषणा की है, जिसमें 22.59 करोड़ रूपए का अंतरिम लाभांश शामिल है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश भुगतान टैक्स के बाद लाभ (पीएटी) का 30% को दर्शाता है ।

5 कंपनी के निदेशक किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के परिपेक्ष में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 4

ऑडिट समिति की सिफारिश के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2016-17 के कंपनी के लागत अभिलेखों की ऑडिट करने के लिए रु 1,20,000 / - (एक लाख बीस हजार रुपये) के पारिश्रमिक के साथ यथा लागू सेवा कर तथा दिनचर्या खर्च पर मेसर्स संजीव दास एंड एसोसिएट्स, लेखा परीक्षक की नियुक्ति को मंजूरी दी गई ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के साथ कंपनियां (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक), 2014 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित पारिश्रमिक को निदेशक मंडल द्वारा माना जाएगा और अनुमोदित किया जाएगा और बाद में शेयरधारकों द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी। तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वर्ष 2016-17 हेतु वे लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करें।

कंपनी के कोई भी निदेशक या कुंजी प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों किसी भी तरह से, आर्थिक रूप से इस संकल्प में शामिल नहीं है।

बोर्ड आपकी स्वीकृति हेतु संकल्प की सिफारिश करता है।

स्थान : शिलांग
दिनांक: 05-08-2016

बोर्ड की आज्ञानुसार
ह./-
(चिरंजीव शर्मा)
कंपनी के सचिव-सह-एलए

वार्षिक आम बैठक के स्थान हेतु रूट मैप

